न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–9/2014 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. प्रभु पुत्र गिरधारी जी माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. धनराज पिता देवचन्द जी माली उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रूपा पिता गोविन्दराम जी माली उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (मृत्यु होने से कार्यवाही समाप्त)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) व धारा 151 जाब्ता दीवानी

उपस्थित अधिवक्तागण–

1. श्री राकेश जैन :– प्रार्थी

निर्णय दिनांक 02/01/2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कमल काष्ट द्वारा दिनांक 14.10.2014 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) व धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 9/2014 पर दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रार्थी ने उक्त उनवान एवं तथ्यों का एक वादपत्र न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर रखा है, जिसके प्रकरण संख्या–57/2014 है, उक्त वादपत्र का प्रार्थी ने एक स्थगन प्रार्थनापत्र भी न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर रखा है, जिसके प्रकरण संख्या–45/2014 है एवं उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 10/11/2014 नियत है। उक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 16/06/2014 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि आगामी तारीख पेशी तक उभयपक्ष उक्त आराजी के मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

विपक्षीगण उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी मौके पर प्रार्थीया के हिस्से, सहित सम्पूर्ण भूमि पर पक्का निर्माण कार्य करवा लिया हैं। प्रार्थी द्वारा 'विपक्षीगण को कई मर्तबा उलाहना दिया कि उक्त भूमि पर माननीय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) महोदय, भीलवाड़ा का स्थगन आदेश हो रखा है और आप लोग उक्त भूमि पर निर्माण मत करवाओ किन्तु विपक्षीगण नहीं माने एवं कहा कि वे उक्त प्रकार के किसी भी आदेश को नहीं मानते है। उक्त आदेश तो केवल कागज मात्र है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो, मैं तो निर्माण करवाकर ही रहूंगा, इस प्रकार विपक्षीगण ने स्थगन आदेश की जानकारी होते हुए भी न्यायालय श्रीमान् के स्थगन आदेश की जानबूझकर अवज्ञा, अवहेलना एवं अवमानना कारित की है एवं अवैध तौर निर्माण करवा लिया।

प्रार्थी द्वारा विपक्षी को उक्त स्थगन आदेश की जानकारी देने एवं निर्माण नही कराने हेतु निवेदन करने पर विपक्षीगण ने प्रार्थी को धमकी दी है कि तुम उक्त वादग्रस्त भूमि पर मत आना और अगर आ गये तो हम तुम्हारे साथ गम्भीर वारदात कारित कर देंगे, हमारा रसूख उपर तक है और ऐसे किसी आदेश से हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एवं वर्तमान में भी वे निरन्तर निर्माण कार्य करवा रहे हैं, इस प्रकार विपक्षीगण ने न्यायालय श्रीमान् के आदेश की अवज्ञा, अवहेलना एवं अवमानना कारित की है एवं निरन्तर कारित कर रहे हैं, जिससे उन्हें उनके उक्त कृत्य हेतु दण्डित कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है तथा उनके द्वारा दौराने कार्यवाही कराये गये अवैध निर्माण को विपक्षीगण के खर्चे पर ध्वस्त कराया जाना आवश्यक है।

02/01/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को उनके द्वारा कारित उक्त कृत्य हेतु अधिकतम सजा से दण्ड़ित कराया जावे एवं जुर्माना अधिरोपित कराया जावे तथा विपक्षीगण द्वारा दौराने कार्यवाही वाद कराये गये अवैध निर्माण को विपक्षीगण के खर्चे से पुलिस इमदाद की सहायता से ध्वस्त करवाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 02 की मृत्यु होने से अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध आदेश 39 नियम 2(क) के अन्तर्गत काई कार्यवाही सम्मन नहीं होने से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कार्यवाही दिनांक 13.11.2024 को ड्राप की गई।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा दिनांक 25.10.2024 को पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 22.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब बंद किया गया तथा पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियम की गई।

वादी/प्रार्थी को साक्ष्यवादी पेश करने हेतु दिये गये तीसरे अवसर पर भी साक्ष्यवादी अनुपस्थित रहने से दिनांक 08.07.2025 को प्रार्थी को साक्ष्यवादी पेश करने हेतु न्यायहित में 200 रूपये की शास्ति पर अंतिम अवसर दिया गया।

दिनांक 08.08.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यवादी प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया, न्यायहित में प्रार्थी अधिवक्ता को 500 रूपये की शास्ति पर अवसर दिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.08.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9, आदेश 39 नियम 7 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने हेतु साक्ष्य संग्रहण का प्रयास है, इस हेतु प्रार्थी को न्यायालय का उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9, आदेश 39 नियम 7 व धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांक 12.08.2025 को खारिज किया गया।

दिनांक 22.08.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रार्थी का शपथ पत्र पेश किया गया। साथ ही अप्रार्थी अधिवक्ता को शास्ति राशि की अदायगी की गई।

प्रार्थी द्वारा दौराने साक्ष्य अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्श कराये गयेः–

1. वादग्रस्त भूमि के छायाचित्र प्रदर्श–1 लगायत 3।
2. छायाचित्र का बिल प्रदर्श–4
3. वादग्रस्त भूमि की डिजिटल जमाबन्दी प्रदर्श–5
4. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के यहां थाना पुर द्वारा विपक्षी धनराज को पाबन्द कराने हेतु इस्तगासा पेश किया जो प्रदर्श–6
5. न्यायालय श्रीमान के स्थगन आदेश की प्रति प्रदर्श–7 है।

वादी द्वारा आदेशिका पर अन्य साक्ष्य पेश करने से इंकार किया गया। पत्रावली में साक्ष्यवादी अन्य पेश करने से इंकार होने पर साक्ष्यवादी बंद की गई। पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत की गई।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश प्रसारित होने के उपरान्त भी मौके पर निर्माण कार्य करवा लिये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की जानबूझकर अवक्षा, अवहेलना और अवमानना कारित किये जाने से अप्रार्थी संख्या 01 को अधिकतम सजा से दण्डित किया जावे एवं जुर्माना अधिरोपित किया जावे। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के उपरान्त किये गये निर्माण कार्य से अप्रार्थीगण के हर्ज–खर्च पर पुलिस की सहायता से ध्वस्त करवाने की कार्यवाही की जाने का आदेश पारित किया जावे।

12/11/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 की तामिली हेतु जारी सम्मन पर तामिल कुनिन्दा द्वारा अप्राथी संख्या 2 की मृत्यु लगभग 15 वर्ष पुर्व होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से संबंधी प्रार्थना पत्र विधि के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात में कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दौराने स्थगन किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया हो। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी द्वारा अपना हिस्सा पूर्व में ही दीगर व्यक्तियों को अंतरित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रिवीटल बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य, सबूत पेश किये गये और उन्हे प्रदर्श करवाये गये। साक्ष्य, सबूतों से यह बखूबी प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर वादग्रस्त भूमि में निर्माण कार्य कर लिया गया है और उक्त निर्माण कार्य दौराने स्थगन किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को सजा एवं भारी जुर्माने से दण्डीत किया जावे तथा दौराने स्थगन किये गये निर्माण को ध्वस्त करवाने का आदेश पारित किया जावे।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य और सबूतों से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने स्थगन किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया गया हो। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतएवं

—: आदेश :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 क व धारा 151 जाब्ता दीवानी खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

22/11/2024

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा